

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013 (पार्ट)-

/पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,  
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,  
राजकीय पोलिटेकनिक, बक्सर

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104 - बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0109- पोलिटेकनिक (निश्चय)" विपत्र कोड 43-4202021040109 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय व्यायादेश संख्या-2350, दिनांक 21.09.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, बक्सर में वर्ष 2017-18 से सत्रारंभ करने के लिए संस्थान के प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, वर्गकक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं Language lab. में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल स्वीकृत राशि रु. 80,00,000=00 (अस्सी लाख रुपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय तथा 52 02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से कुल रु. 80,00,000=00 (अस्सी लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

क्रम	विषयशीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1.	5201 मशीनें एवं उपस्कर- कार्यालय	2000000=00
2.	5202 मशीनें एवं उपस्कर- अन्य	6000000=00
	<b>कुल</b>	<b>8000000=00</b>

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561/वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-428, दिनांक 31.03.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह./ -

(अतुल सिन्हा)  
निदेशक

Handwritten text at the top right corner.

Handwritten signature and date: 18/10/17

Handwritten signature and date: 18.10.17

प्रतिनिधि: - माननीय विभागीय मंत्री के आपस सचिव/उप निदेशक (यू)/योजना सहायक/आई.टी. डी.ए.ए. (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है) / एक अतिरिक्त प्रति माल फाइल में सहायक है।  
डा.प्रा.क- वि.प्र.गं. (III) ब-8/2013 (घट)- 46011/पटना, दिनांक 20/10/17

क. / -  
निदेशक

प्रतिनिधि: - कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, बक्सर को संचालक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
डा.प्रा.क- वि.प्र.गं. (III) ब-8/2013 (घट)- /पटना, दिनांक

क. / -  
निदेशक

प्रतिनिधि: - महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को संचालक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
डा.प्रा.क- वि.प्र.गं. (III) ब-8/2013 (घट)- /पटना, दिनांक